

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी 2021—माघ 23, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 दिसम्बर 2020

क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, भा.प्र.से. (2005), विशेष सचिव, मंत्रालय तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री नीलम नामदेव एक्का, भा.प्र.से. (2005), विशेष सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, विमानन को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ विशेष सचिव, जनशिकायत निवारण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

3. डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, भा.प्र.से. (2006), विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन, विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग को केवल प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करता है। शेष प्रभार यथावत रहेंगे।
4. श्री डोमन सिंह, भा.प्र.से. (2009), कलेक्टर, जिला-गौरेला-पेंड्रा-मरवाही को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-महासमुंद के पद पर पदस्थ करता है।
5. श्री कार्तिकेय गोयल, भा.प्र.से. (2010), कलेक्टर, जिला-महासमुंद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन के पद पर पदस्थ करते हुए संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री कार्तिकेय गोयल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।
6. श्री धर्मेस कुमार साहू, भा.प्र.से. (2010), महानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक तथा अतिरिक्त प्रभार मिशन संचालक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-नारायणपुर के पद पर पदस्थ करता है।
7. श्री अभिजीत सिंह, भा.प्र.से. (2012), कलेक्टर, जिला-नारायणपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य पाठ्य पुस्तक निगम के पद पर पदस्थ करते हुए उप सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री अभिजीत सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य पाठ्य पुस्तक निगम के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।
8. सुश्री इफ्फत आरा, भा.प्र.से. (2012), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य पाठ्य पुस्तक निगम को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के पद पर पदस्थ करते हुए मिशन संचालक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

सुश्री इफ्फत आरा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।
9. सुश्री नम्रता गांधी, भा.प्र.से. (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धमतरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के पद पर पदस्थ करता है।
10. श्री अजीत वसंत, भा.प्र.से. (2013), अपर कलेक्टर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव के पद पर पदस्थ करता है।
11. सुश्री नुपूर राशि पन्ना, भा.प्र.से. (2015), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुंगेली को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर कलेक्टर, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है।
12. श्री हरीष एस., भा.प्र.से. (2015), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बलरामपुर-रामानुजगंज को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है।
13. श्री कुणाल दुदावत, भा.प्र.से. (2017), अनुविभागीय अधिकारी (राज.), सरायपाली, जिला-महासमुंद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया के पद पर पदस्थ करता है।
14. श्री मयंक चतुर्वेदी, भा.प्र.से. (2017), सहायक कलेक्टर, जिला-गौरेला-पेंड्रा-मरवाही को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धमतरी के पद पर पदस्थ करता है।

15. श्री रोहित व्यास, भा.प्र.से. (2017), अनुविभागीय अधिकारी (राज.), बगीचा, जिला-जशपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुंगेली के पद पर पदस्थ करता है।

16. श्री देवेश कुमार ध्रुव, भा.प्र.से. (2018), अनुविभागीय अधिकारी (राज.), बलौदाबाजार-भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अनुविभागीय अधिकारी (राज.), बीजापुर, जिला-बीजापुर के पद पर पदस्थ करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 नवम्बर 2020

क्रमांक एफ 12-1/2020/मबावि/50 (पार्ट 2).—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के चयन के लिये गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे उल्लिखित तालिका के कॉलम क्रमांक (3) एवं (4) में उल्लिखित व्यक्तियों को, कॉलम क्रमांक (2) में उल्लिखित तत्संबंधी जिले के बालक कल्याण समिति में, क्रमशः अध्यक्ष/सदस्य के रूप में, नीचे उल्लिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुये, नियुक्त करती है, अर्थात् :—

तालिका

स.क्र.	जिले का नाम	बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष का नाम	बालक कल्याण समिति के सदस्य का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रायपुर	श्री सरवत हुसैन नकवी	1. श्री रमेश कुमार देवांगन 2. कु. श्वेता रानी 3. श्री प्रेमलाल सिन्हा 4. श्री मोंटी राजपूत
2.	धमतरी	श्री गजानंद साहू	—
3.	बलौदा बाजार	श्रीमती संध्या बाजपेयी	श्रीमती वीणा वर्मा
4.	महासमुंद	श्रीमती सुनीता देवांगन	1. श्रीमती छाया चन्द्राकर 2. श्री संदीप दीवान 3. श्री मुरारीलाल निर्मलकर
5.	गरियाबंद	—	1. श्री बैसाखू राम साहू 2. श्रीमती पूर्णिमा तिवारी
6.	दुर्ग	डॉ. श्रेष्ठा शुक्ला	1. श्री रमाकांत देशमुख 2. श्रीमती मिसबा शिरीन हुसैन 3. श्रीमती प्रीति अजय बेहरा 4. श्रीमती श्रद्धा रानी

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	राजनांदगांव	डॉ. कु. श्रुति खरे	1. श्री चन्द्रभूषण सिंह ठाकुर 2. श्रीमती इंदु साहू 3. श्रीमती सुनीता यादव 4. श्री राकेश सिंह राजपूत
8.	कबीरधाम	श्रीमती अंजना	—
9.	बालोद	श्री कृष्णा साहू	श्रीमती शैल टांक
10.	बेमेतरा	—	श्री ओमप्रकाश चन्द्राकर
11.	बिलासपुर	श्री असीम कुमार मुखर्जी	1. श्रीमती वर्षा मिश्रा 2. श्रीमती रीता राजगीर 3. डॉ. श्रीमती आरती सिंह 4. श्री हेमन्त कुमार चन्द्राकर
12.	जांजगीर-चांपा	श्रीमती नम्रता पटेल	1. श्री मुरलीधर चन्द्रम 2. सुश्री संतोषी राठौर
13.	रायगढ़	डॉ. पुनीता राजलक्ष्मी	1. डॉ. ऋतु शर्मा सिंह 2. श्रीमती चंदना गुप्ता
14.	मुंगेली	—	1. श्री बृजेश कुमार उपाध्याय 2. श्री सलील पाण्डेय
15.	सरगुजा	श्री सुरेन्द्र कुमार	1. श्री अनिल कुमार हरदहा 2. श्रीमती पूर्णिमा खरे
16.	सूरजपुर	सुश्री किरण बघेल	1. श्रीमती कविता सिंह 2. श्री राजेश शर्मा
17.	कोरिया	श्रीमती अंजली तिवारी	—
18.	बलरामपुर	—	1. श्री ओमप्रकाश साव 2. श्री अयोध्या प्रसाद
19.	जशपुर	श्रीमती निर्मला जांगड़े	1. श्रीमती डौली कुशवाहा 2. श्री सुभाष कुमार आर्यवर्ती
20.	बस्तर	श्री शैलेन्द्र दुबे	1. सुश्री मीना सिंह 2. श्रीमती सुनीता ठाकुर
21.	कांकेर	श्रीमती कल्पना ध्रुव	1. श्री अनिल कुमार पिपरैया 2. सुश्री सिरात्री निषाद 3. श्रीमती हेमलता वैष्णव
22.	कोण्डागांव	—	श्री बिंगुराम कोराम

(1)	(2)	(3)	(4)
23.	दंतेवाड़ा	श्री छत्र कुमार साहू	श्रीमती सुनीता गोड़बोले
24.	बीजापुर	—	श्री अशोक कुमार तलांडी
25.	नारायणपुर	—	1. श्रीमती पूनम केशरा 2. श्री सोना राम साहू
26.	सुकमा	—	श्रीमती रेणुका सूना

- (1) यह नियुक्तियां अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र एवं व्यक्तिगत वार्तालाप में दी गयी जानकारी तथा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर की गई है। किसी भी स्तर पर गलत जानकारी या विसंगति अथवा शिकायत की दशा में, राज्य शासन को संबंधित व्यक्ति का नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (2) बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों की पदावधि, इस आदेश के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के लिये होगी।
- (3) बालक कल्याण समिति किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का 2) की धारा 28 की उप-धारा (1) के अनुसार अपनी बैठक आहूत करेगी, जिसमें विहित तिथि/समय पर अध्यक्ष/सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- (4) बालक कल्याण समिति, बाल गृह के परिसर में या जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा विनिश्चित स्थान पर अपनी बैठक आहूत करेगी।
- (5) बालक कल्याण समिति के सदस्यों की नियुक्ति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा (27) की उप-धारा (7) के प्रावधानों के अनुसार समाप्त की जा सकेगी।
- (6) कंडिका क्रमांक 5 के अतिरिक्त, समिति के अध्यक्ष/सदस्य, एक माह का नोटिस देकर किसी भी समय त्यागपत्र दे सकेंगे।
- (7) समिति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 के अनुसार बालकों के कल्याण एवं संरक्षण के लिये कार्य करेंगी।
- (8) यदि नियुक्त सदस्य, किसी ऐसे व्यवसाय/सेवा में है, जो बालक कल्याण समिति के सदस्य के रूप में उनके कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं, तो उन्हें अपनी वर्तमान सेवा/व्यवसाय का कार्य स्थगित करना होगा।
- (9) यह नियुक्ति पुलिस सत्यापन होने तक प्रावधिक मानी जायेगी। यदि किसी नियुक्त अभ्यर्थी के पुलिस सत्यापन में विपरीत टीप प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जाएगी।

No. F 12-1/2020/WCD/50 (Part 2).—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 27 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016) and as per the recommendations of the State level Selection Committee constituted for selection of the Chairperson/Members of the Child Welfare Committee, the State Government, hereby, appoints the following persons mentioned in column number (3) and (4) of the table mentioned below as Chairperson/Members respectively in the Child Welfare Committee of the Corresponding District mentioned in column number (2), subject to the conditions mentioned below, namely :—

TABLE

S. No.	Name of the District	Name of the Chairperson of the Child Welfare Committee	Name of the Member of the Child Welfare Committee
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Raipur	Mr. Sarwat Hussain Naqvi	1. Mr. Ramesh Kumar Dewangan

(1)	(2)	(3)	(4)
			2. Ms. Shweta Rani 3. Mr. Premlal Sinha 4. Mr. Monti Rajput
2.	Dhamtari	Mr. Gajanand Sahu	—
3.	Balodabazar	Mrs. Sandhya Bajpai	Mrs. Veena Verma
4.	Mahasamund	Mrs. Sunita Dewangan	1. Mrs. Chhaya Chandrakar 2. Mr. Sandeep Diwan 3. Mr. Murarilal Nirmalkar
5.	Gariyaband	—	1. Mr. Baisakhu Ram Sahu 2. Mrs. Purnima Tiwari
6.	Durg	Dr. Shreshtha Shukla	1. Mr. Ramakant Deshmukh 2. Mrs. Misba Shirin Hussain 3. Mrs. Preeti Ajay Behra 4. Mrs. Shraddha Rani
7.	Rajnandgaon	Dr. Shruti Khare	1. Mr. Chandrabhushan Singh Thakur. 2. Mrs. Indu Sahu 3. Mrs. Sunita Yadav 4. Mr. Rakesh Singh Rajput
8.	Kabeerdham	Mrs. Anjana	—
9.	Balod	Mr. Krishna Sahu	Mrs. Shail Tank
10.	Bemetara	—	Mr. Omprakash Chandrakar
11.	Bilaspur	Mr. Aseem Kumar Mukharjee	1. Mrs. Varsha Mishra 2. Mrs. Reeta Rajgeer 3. Dr. Mrs. Aarti Singh 4. Mr. Hemant Kumar Chandrakar
12.	Janjgir-Champa	Mrs. Namrata Patel	1. Mr. Murlidhar Chandram 2. Ms. Santoshi Rathore
13.	Raigarh	Dr. Punita Rajlakshmi	1. Dr. Ritu Sharma Singh 2. Mrs. Chandana Gupta
14.	Mungeli	—	1. Mr. Brijesh Kumar Upadhyay 2. Mr. Salil Pandey
15.	Surguja	Mr. Surendra Kumar	1. Mr. Anil Kumar Hardaha 2. Mrs. Purnima Khare
16.	Surajpur	Ms. Kiran Baghel	1. Mrs. Kavita Singh 2. Mr. Rajesh Sharma
17.	Koriya	Mrs. Anjali Tiwari	—
18.	Balrampur	—	1. Mr. Omprakash Sao 2. Mr. Ayodhya Prasad

(1)	(2)	(3)	(4)
19.	Jashpur	Mrs. Nirmala Jangade	1. Mrs. Dolly Kushwaha 2. Mr. Shubhash Kumar Aaryavarti
20.	Bastar	Mr. Shailendra Dubey	1. Ms. Meena Singh 2. Mrs. Sunita Thakur
21.	Kanker	Mrs. Kalpana Dhruw	1. Mr. Anil Kumar Pipaiya 2. Ms. Siratri Nishad 3. Mrs. Hemlata Vaishnav
22.	Kondagaon	—	Mr. Binguram Korram
23.	Dantewada	Mr. Chhatra Kumar Sahu	Mrs. Sunita Godbole
24.	Bijapur	—	Mr. Ashok Kumar Talandi
25.	Narayanpur	—	1. Mrs. Poonam Keshara 2. Mr. Sona Ram Sahu
26.	Sukma	—	Mrs. Renuka Suna

- (1) These appointments have been done on the basis of information given in the application & personal interaction and documents submitted by the applicants. In case of wrong information or discrepancy or complaint at any level, State government shall have the rights to cancel the appointment of the concerned person and no representation shall be acceptable in this regards.
- (2) The term of the Chairperson/Members of the Child Welfare Committee shall be for a period of three years from the date of the issue of this order.
- (3) Child Welfare Committee shall hold its meetings as per sub-section (1) of Section 28 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016), in which presence of Chairperson/members on the prescribed date/time shall be mandatory.
- (4) Child Welfare Committee shall hold its meetings in the premises of the Children Home or at any place decided by the District Child Protection Committee.
- (5) Appointment of the Members of the Child Welfare Committee may be terminated in accordance with the provisions of sub-section (7) of Section 27 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016).
- (6) Besides serial No. 5 Chairperson/Members of the Committee may resign at any time by giving one month's notice.
- (7) Committee shall function for the welfare and protection of the Children in accordance with the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016) & the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016.
- (8) If the appointed member is in a profession/service, which can affect his work as a member of the Child Welfare Committee, then he will have to postpone his work of existing profession/service.
- (9) This appointment will be considered provisional till the police verification. If any adverse comment is found in police verification of appointed candidate, his appointment will be considered terminated with immediate effect.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रसन्ना आर., सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 4 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (4) में उल्लिखित न्यायाधीश (प्रधान न्यायाधीश) को अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा सम्यक् रूप से चयनित सामाजिक कार्यकर्ताओं को कॉलम (3) में उल्लिखित क्षेत्र के लिये सदस्य के रूप में सम्मिलित करते हुए, किशोर न्याय बोर्ड का पुनर्गठन करती है, अर्थात् :—

सारणी

स.क्र.	किशोर न्याय बोर्ड का नाम	क्षेत्र/राजस्व जिले	किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बैकुण्ठपुर	कोरिया	कु. रेशमा बैरागी, II सिविल जज क्लास-I, बैकुण्ठपुर.

No. F 11-3/2013/WCD/50.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016), the State Government, hereby, reconstitutes the Juvenile Justice Boards by notifying Judge (Principal Magistrate), mentioned in Column (4) as Chairman and including Social workers duly selected by the State Level Selection Committee as members for the area mentioned in column (3) of the table below, namely :—

TABLE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board	Area/Revenue District	Name of the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Baikunthpur	Korea	Ku. Reshma Bairagi, II CJ-I, Baikunthpur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, उप-सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 1-02/2020/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्वारा उप वन संरक्षक स्तर के निम्नलिखित भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को दिनांक 04-06-2020 से वन संरक्षक के पद एवं वेतनमान (Level 13A in the Pay Matrix Rs. 1,31,100-2,16,600) में पदोन्नति प्रदान करता है :—

1. श्री राजू अगासिमनी (2006)
2. श्री विवेक आचार्य (2006)
3. श्री माथेश्वरन व्ही. (2006)
4. श्री अरूण प्रसाद पी. (2006)
5. श्री प्रभात मिश्रा (2006)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 1-09/2017/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्वारा भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम 3(B)(ii) के अंतर्गत निम्नलिखित भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को आबंटन वर्ष से 09 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (Junior Administrative Grade: Level 12 in the Pay Matrix Rs. 78,800-2,09,200) में अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त स्थानापन्न रूप से नियुक्त करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति की तिथि (3)
1.	श्री बी. विवेकानंद रेड्डी (2009)	01-01-2018
2.	श्री विवेकानंद झा (2009)	01-01-2018
3.	श्रीमती विजया विनोद कुर्रे (2011)	01-01-2020
4.	सुश्री स्टायलो मंडावी (2011)	01-01-2020

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चंचलानी, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 जनवरी 2021

क्रमांक एफ 10-01/2021/16.—औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना के तहत राज्य सुधार योजना 2020-21 के विषय क्षेत्र 6 के बिन्दु क्रमांक 117 के तारतम्य में विभिन्न श्रम अधिनियमों या उक्त अधिनियमों के अंतर्गत बनाये गये नियमों के तहत संधारित किए जाने वाले पंजियों/अभिलेखों के ऑनलाईन/डिजिटल संधारण किया जाना लागू किया जाता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 जनवरी 2021

क्रमांक एफ 10-01/2021/16.—औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना के तहत राज्य सुधार योजना 2020-21 के विषय क्षेत्र 6 के बिन्दु क्रमांक 119 के तारतम्य में छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण अधिनियम 1982 एवं इसके तहत निर्मित छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि नियम 1984 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल को देय अभिदाय राशि श्रम विभाग के पोर्टल पर ऑनलाईन जमा किया जाना लागू किया जाता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 जनवरी 2021

क्रमांक एफ 10-01/2021/16.—औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना के तहत राज्य सुधार योजना 2020-21 के विषय क्षेत्र 6 के बिन्दु क्रमांक 105 के तारतम्य में छत्तीसगढ़ कारखाना नियम 1962 के नियम 7 के तहत कारखाने के अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण आवेदन विहित शुल्क के साथ विभिन्न श्रम अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत बनाये गये नियमों के तहत संधारित किये जाने वाले पंजियों/अभिलेखों के ऑनलाईन/डिजिटल संधारण किये जाने पर तथा श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 738/695/2016/16, दिनांक 30-03-2016 द्वारा निर्धारित एकीकृत वार्षिक विवरणी ऑनलाईन प्रस्तुत करने पर आवेदक द्वारा चाहे गए अवधि जो 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी, तक के लिए अनुज्ञप्ति का स्वतः नवीनीकरण हो जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 20-53/2020/11-6.—चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2020) में निम्नलिखित अनुसार संशोधन करती हैं, अर्थात् :—

(एक) छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2020) के नियम-8 के वर्तमान शीर्षक “हैन्डलूम तथा हैंडीक्राफ्ट सामग्रियों का क्रय” को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

नियम-8 राज्य शासन के अन्य विभागों एवं उनके उपक्रमों से सामग्रियों का क्रय :—

(दो) नियम-8.4 के पश्चात् नवीन प्रावधान हेतु निम्नानुसार उपनियम 8.5 का समावेश किया जाता है :—

8.5 कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा “गौधन न्याय योजना” के अंतर्गत संचालित/नियंत्रित/अधिकृत राज्य शासन के विभागों के शासकीय संस्थानों/गौठानों के द्वारा उत्पादित “जैविक खाद (वर्मी कम्पोस्ट)” का, शासन के अन्य विभागों द्वारा सीधे क्रय, “कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा” समय-समय पर निर्धारित दरों पर किया जा सकेगा. इस हेतु पृथक से निविदा बुलाया जाना आवश्यक नहीं होगा.

(तीन) यह संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होंगे.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 20-47/2013/11/(6).—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-03-2015 द्वारा जारी “छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015” में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना के अध्याय-1 की कंडिका 1.2 की उप कंडिका क्रमांक 1.2.7 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् :—

कंडिका क्र. 1.2.7 — सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम सेवा उद्यम— से अभिप्रेत है, “राज्य सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा समय-समय पर जारी औद्योगिक नीति के अंतर्गत परिभाषित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम सेवा उद्यम जिनके संबंध में राज्य के द्वारा उद्यम आकांक्षा अथवा समतुल्य कोई अभिस्वीकृति/प्रमाणपत्र जारी किया गया हो.

(दो) उक्त अधिसूचना के अध्याय-1 की कंडिका 1.2 की उप कंडिका क्रमांक 1.2.8 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् :—

कंडिका क्र. 1.2.8 — वृहद उद्योग एवं वृहद सेवा उद्यम— से अभिप्रेत है, “राज्य सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा समय-समय पर जारी औद्योगिक नीति के अंतर्गत परिभाषित वृहद उद्योग एवं वृहद सेवा उद्यम जिन्हें राज्य के द्वारा जारी प्रावधानित अनुसार कोई अभिस्वीकृति/प्रमाणपत्र जारी किया गया हो.

- (तीन) उक्त अधिसूचना के अध्याय-3 की कंडिका 3.4 की उप कंडिका क्रमांक 3.4.2.4 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् :-

कंडिका क्र. 3.4.2.4— जिन प्रकरणों में आबंटित भूखण्ड पर उद्यम की स्थापना हो चुकी हो अर्थात् कार्यरत अथवा उत्पादन में आने के पश्चात् बंद हुए उद्योग/उद्यम, जिनमें आबंटन के समय प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के अनुसार भूमि उपयोग की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हो, तथा जिन्हें विभाग द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र यथा-ई.एम. पार्ट-2 एवं उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका हो और बंद उद्योग/उद्यम के प्रकरण में निरस्तीकरण आदेश जारी नहीं हुआ हो उनमें तत्समय प्रचलित भू-प्रब्याजि की 5 (पांच) प्रतिशत राशि देय होगी.

परंतु, जिन प्रकरणों में आबंटित भू-खण्ड पर उद्यम की स्थापना हो चुकी हो अर्थात् कार्यरत अथवा उत्पादन में आने के पश्चात् बंद हुए उद्योग/उद्यम, जिनमें आबंटन के समय प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के अनुसार भूमि उपयोग की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हो, तथा जिन्हें विभाग द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र यथा-ई.एम. पार्ट-2 एवं उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका हो और बंद उद्योग/उद्यम के प्रकरण में निरस्तीकरण आदेश जारी हो चुका हो उनमें 07 मार्च, 2015 के पूर्व भूमि आबंटन के मामले में हस्तांतरण दिनांक पर लागू प्रब्याजी का 40 प्रतिशत तथा 07 मार्च, 2015 के पश्चात् भूमि आबंटन के मामले में हस्तांतरण दिनांक पर लागू प्रब्याजी का 20 प्रतिशत राशि उनमें हस्तांतरण शुल्क के रूप में देय होगी. उपरोक्त प्रावधान कंडिका 3.4.2.10 एवं 3.4.2.11 से संबंधित प्रकरणों के संबंध में भी उपरोक्तवत लागू होंगे.

- (चार) उक्त अधिसूचना के अध्याय-3 की कंडिका 3.4 की उप कंडिका क्रमांक 3.4.2.6 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् :-

कंडिका क्र. 3.4.2.6— उपरोक्त 3.4.2.1 से 3.4.2.4 तक के प्रकरणों के मामले में हस्तांतरण के अनुमोदन उपरांत भू-आधिपत्य प्राप्तकर्ता द्वारा आदेश दिनांक से आगामी 5 वर्ष तक भूमि का पुनः हस्तांतरण अथवा इकाई के गठन का परिवर्तन, इन नियमों में अन्यथा स्वीकार्य होने की स्थिति को छोड़कर, परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा.

इस प्रावधान के उल्लंघन होने पर प्रकरण में नियमितिकरण हेतु राशि 07 मार्च, 2015 के पूर्व मूलतः भूमि आबंटन के मामले में उल्लंघन नियमितिकरण के दिनांक पर लागू प्रब्याजी का 40 प्रतिशत तथा 07 मार्च, 2015 के पश्चात् मूलतः भूमि आबंटन के मामले में उल्लंघन नियमितिकरण के दिनांक पर लागू प्रब्याजी का 20 प्रतिशत राशि, के रूप में प्रचलित प्रब्याजी के समतुल्य हस्तांतरण शुल्क एवं शास्ति शुल्क नियमितिकरण दिनांक पर प्रब्याजी के 10(दस) प्रतिशत के बराबर, अतिरिक्त रूप से ली जायेगी.

शास्ति सहित पूर्ण राशि का भुगतान न करने पर उद्योग के पक्ष में जारी आबंटन आदेश तथा लीजडीड नियमानुसार निरस्त की जायेगी.

- (पांच) उक्त अधिसूचना के अध्याय-3 की कंडिका 3.4 की उप कंडिका क्रमांक 3.4.2.7 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् :-

कंडिका क्र. 3.4.2.7— निरस्त भूखण्ड, शेड-भवन/प्रकोष्ठ का हस्तांतरण इन नियमों में अन्यत्र वर्णित प्रक्रिया अनुसार किया जावेगा.

- (छः) उक्त अधिसूचना के अध्याय-3 की कंडिका 3.8 की उप कंडिका क्रमांक 3.8.4 — विलोपित.

- (सात) उक्त अधिसूचना के अध्याय-3 की कंडिका 3.8 की उप कंडिका क्रमांक 3.8.5 — विलोपित.

- (आठ) उक्त अधिसूचना के अध्याय-3 की कंडिका 3.8 की उप कंडिका क्रमांक 3.8.6 — विलोपित.

- (नौ) उक्त अधिसूचना के अध्याय-3 की कंडिका 3.10 की उप कंडिका क्रमांक 3.10.1 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् :—

कंडिका क्र. 3.10.— इकाई कार्यरत किंतु निरस्त पट्टाभिलेख अंतर्गत भूमि, भवन/शेड का पुनर्स्थापन

(3.10.1) कार्यरत इकाई किंतु निरस्त पट्टाभिलेख के मामले-इकाई के द्वारा देय राशियों का भुगतान न करने के कारण निरस्त भूमि, भवन/शेड के पट्टा प्रकरण में अंतिम निराकरण के पूर्व नियमों में उल्लेखित/पट्टे की शर्तों में वर्णित प्रावधान अनुसार पट्टाग्रहिता द्वारा देयताओं का एकमुश्त भुगतान करने के साथ ही पुनर्स्थापना दिनांक पर प्रचलित प्रब्याजि की 05 (पांच) प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में लेकर भूमि, भवन/शेड के पट्टे को पुनर्स्थापित किया जा सकेगा। यह पुनर्स्थापन अवधि आबंटन प्राधिकारी द्वारा जारी निरस्तीकरण अभ्यावेदन निराकरण आदेश में वर्णित अवधि समाप्त होने के पूर्व की होगी। इस अवधि के भीतर भुगतान सहित आवेदन प्राप्त होने पर निरस्त पट्टे का पुनर्स्थापन पट्टा निरस्तीकरण प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

- (दस) उक्त अधिसूचना के अध्याय-3 की कंडिका 3.10 की उप कंडिका क्रमांक 3.10.2 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् :—

(3.10.2) उपरोक्त कंडिका (3.10.1) से भिन्न प्रकरणों में पट्टा निरस्तीकरण के मामलों में भूमि, भवन/शेड की पुनर्स्थापना के प्रत्येक प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर इकाई की अद्यतन स्थिति, रोजगार, पूंजी निवेश, उल्लंघित प्रावधानों की पूर्ति एवं उद्योग स्थापनार्थ नये प्रस्तावों को दृष्टिगत रखते हुये की जा सकेगी।

ऐसा करते समय आबंटन प्राधिकारी द्वारा प्रचलित प्रब्याजि 07 मार्च, 2015 के पूर्व के मूलतः भूमि आबंटन के मामले में पुनर्स्थापना दिनांक पर लागू प्रब्याजि का 45 प्रतिशत, तथा 07 मार्च, 2015 के पश्चात् मूलतः भूमि आबंटन के मामले में पुनर्स्थापना दिनांक पर लागू प्रब्याजि का 25 प्रतिशत राशि पुनर्स्थापना शुल्क एवं अन्य देय राशि के बराबर का एकमुश्त भुगतान प्राप्त कर भूमि आबंटन पुनर्स्थापन की अनुमति दी जा सकेगी। उक्त अनुमोदन की दिनांक से आगामी 05 (पांच) वर्ष तक भूमि का हस्तांतरण अथवा स्थापित उद्योग इकाई के संगठन का स्वरूप इन नियमों में अन्यथा स्वीकार्य होने की स्थिति को छोड़कर, परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

- (ग्यारह) यह संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझी जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 8-1/2012/11/(6).—बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा एन.एस.पी.सी.एल. भिलाई के बॉयलर क्रमांक सी.जी./342 को दिनांक 14-01-2021 से दिनांक 13-06-2021 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता हूँ :—

- (1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छ.ग. को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी।
- (2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 कि अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।
- (3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी।

- (4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
- (5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप से जमा कराई जावेगी.
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 3-32/2017/गृह-दो.—मैदानी गोला बारूद तोप अभ्यास अधिनियम 1938 के अध्याय II की धारा 9 (2) में निहित प्रावधान के अंतर्गत राज्य शासन एतद्वारा जिला नारायणपुर के ग्राम तेलसी पटवारी हल्का नं. 02 भूमि खसरा नं. 03, 04, 05 रकबा क्रमशः 2.020, 2.020, 2.020 योग रकबा 6.060 हेक्टेयर भूमि को फायरिंग रेंज हेतु अधिसूचित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, उप-सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 7-14/2015/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री जितेन्द्र शुक्ला, भापुसे (2013) सेनानी, 17वीं वाहिनी, छसबल, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ को दिनांक 07-12-2020 से 17-12-2020 (कुल 11 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 06, 18, 19 एवं 20 दिसम्बर 2020 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र शुक्ला, भापुसे (2013) आगामी आदेश तक, सेनानी, 17वीं वाहिनी, छसबल, जिला कबीरधाम, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.
3. अवकाश काल में श्री शुक्ला को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शुक्ला (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
5. श्री जितेन्द्र शुक्ला, भापुसे (2013), सेनानी, 17वीं वाहिनी, छसबल, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री चैनदास टण्डन, रापुसे, सेनानी, 17वीं वाहिनी, छसबल, जिला कबीरधाम, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ 7-06/2011/32 (पार्ट-2).—जिला कोरिया के अंतर्गत सोनहत निवेश क्षेत्र की सीमाओं में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करने संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-7-2020 में अंकित “जिला कोरिया सोनहत निवेश क्षेत्र” के स्थान पर “जिला कोरिया पुनर्गठित सोनहत निवेश क्षेत्र” पढ़ा जाये.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ 7-17/2019/32.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क (1) एवं (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 23-1-2020 द्वारा नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :—

नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में उपांतरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क (1) एवं (2) के तहत उपांतरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सेरीखेड़ी पहनं. 42	682 का भाग	12.128 हेक्टेयर में से 15 एकड़	कृषि	आवासीय

- उक्त उपांतरण छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए ग्राम सेरीखेड़ी में विशेष आवासीय योजना प्रयोजन हेतु हैं.
- सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.
- अतः राज्य शासन एतद्वारा नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. तिकी, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, बैकुण्ठपुर (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरिया, दिनांक 5 दिसम्बर 2020

क्रमांक/9032/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुण्ठपुर	गिरजापुर प.ह.नं. 38	0.20	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, अम्बिकापुर.	गिरजा तेन्दु मार्ग पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैकुण्ठपुर जिला कोरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्य नारायण राठौर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2021

क्रमांक/3425/वा.भू.अ./अ.वि.अ./2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	रायपुरखास प.ह.नं. 62	483.95	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ.ग.).	तेलघानी नाका रेलवे ओव्हर ब्रिज (R.O.B) निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 25 जनवरी 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोतरलिया प.ह.नं. 37	8.146	महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना, घरघोड़ा जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परि-योजना के रेल लाईन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरिया, दिनांक 19 नवम्बर 2020

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-कोरिया
 - (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
 - (ग) नगर/ग्राम-पहाड़सवाही, प.ह.नं. 07
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.567 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
179	0.096
178	0.045
190	0.075
177	0.075
151	0.052

रा.प्र.क्रमांक/8812/15/अ-82/वाचक/भू-अर्जन/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(1)	(2)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-मेरो जलाशय योजना के दांयी मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन प्रकरण.
163	0.037	
162	0.030	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खड़गवां-चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
166	0.030	
132	0.045	
115	0.082	
योग	10	0.567

कोरिया, दिनांक 15 जनवरी 2021

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-बड़काघाघी व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर हेतु भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 15 जनवरी 2021

रा.प्र.क्रमांक/271/01/अ-82/भू-अर्जन/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-कोरिया
(ख) तहसील-खड़गवां
(ग) नगर/ग्राम-मेरो, प.ह.नं. 06
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.380 हेक्टेयर

खसरा नम्बर रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
449	0.030
450	0.120
455	0.060
456	0.090
1084	0.080
योग	5
	0.380

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-कोरिया
(ख) तहसील-खड़गवां
(ग) नगर/ग्राम-जिल्दा, प.ह.नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.73 हेक्टेयर

खसरा नम्बर रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
791	0.27
812	0.05
922	0.41
योग	3
	0.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-हुड़िका जलाशय योजना के डूबान हेतु भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खड़गवां-चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 15 जनवरी 2021

(1)

(2)

रा.प्र.क्रमांक/273/02/अ-82/भू-अर्जन/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-कोरिया
(ख) तहसील-खड़गवां
(ग) नगर/ग्राम-मुकुन्दपुर, प.ह.नं. 06
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.607 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
560 बी/66	0.833
560 बी/67	0.834
560 बी/68	0.200
560 बी/255	0.160
560 बी/256	0.070
560 बी/238	0.050
560 बी/63	0.160
560 बी/48	0.070
560 बी/47	0.260
560 बी/36	0.080
560 बी/33	0.070
560 बी/32	0.100
560 बी/30	0.150
560 बी/165	0.060
560 बी/166	0.060
560 बी/168	0.060
560 बी/173	0.070
560 बी/217	0.060
560 बी/207	0.060

560 बी/से

0.200

योग

20

3.607

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-मेरो जलाशय योजना के डूबान एवं नहर हेतु भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खड़गवां-चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्यनारायण राठौर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 जनवरी 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-तमनार
(ग) नगर/ग्राम-गोढ़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.186 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
47/7	0.027
47/10	0.026
47/13	0.027
47/8	0.027
47/11	0.026

(1)	(2)
47/9	0.026
47/12	0.027
योग	07
	0.186

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली परियोजना अंतर्गत रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 22 अक्टूबर 2020

क्रमांक/759/अ-82/2019-20/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-पेण्डरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.700 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
404	0.397
78/3	0.105
78/2	0.056
484	0.049

(1)	(2)
471	0.093
योग	5
	0.700

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खोखली-ढाबाडीह-पेण्डरी-देवरी मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

धमतरी, दिनांक 9 नवम्बर 2020

प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-साल्हेभाट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6048 वर्गमीटर

खसरा नम्बर	रकबा (वर्गमीटर में)
(1)	(2)
82	88
83	104
81	120
84	96
88	387.50

(1)	(2)	(1)	(2)
95	234	860	114
633	100	545	45
816	56	542	96
85	400	866	24
283	304	861	35
308	60	859	42.50
547	04	747	203
282	138	743	272
304	48	306/2	88
543	32	924	95
544	32	925	48
303	119	926	44
862	24	928	18
746	63	937/2	44
310	140	937/3	64
738	59.50	937/1	72
745	63	962	78
758	96	951	52
741	168	952	112
739	217.50	955	92
744	85.50	1012	28
737	97.50	89	04
807	75	748	04
733	180	योग	62
811	108.50		6048
731	108.50	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवापारा-बुढ़ेनी-परसवानी-मगरलोड-मोहदी-बोरसी-भोयना मार्ग चौड़ीकरण योजना हेतु.	
806	90	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.	
635	156	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जय प्रकाश मौर्य, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	
815	102		
632	60		
818	55.50		
631	38		
817	04		
546	60		

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2020

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2020-21/3704.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/5420 रायपुर दिनांक 03-12-2019 द्वारा श्रीमती माधुरी सोम, डिप्टी कलेक्टर को कृषि उपज मंडी समिति जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

अपर कलेक्टर, जिला बस्तर का ज्ञापन क्रमांक/01/एक-01/ज्येलि-2/2020 जगदलपुर, दिनांक 24-09-2020 द्वारा श्रीमती माधुरी सोम, डिप्टी कलेक्टर को उपायुक्त (रा.) संभागीय आयुक्त कार्यालय जगदलपुर में पदस्थ करते हुए उनके स्थान पर श्री प्रवीण वर्मा डिप्टी कलेक्टर जिला बस्तर को कृषि उपज मंडी समिति जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्रीमती माधुरी सोम, डिप्टी कलेक्टर के स्थान पर श्री प्रवीण वर्मा डिप्टी कलेक्टर जिला बस्तर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2020

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2020-21/3706.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2015-16/2027 रायपुर दिनांक 17-06-2015 द्वारा श्री रामयश तिवारी, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि को कृषि उपज मंडी समिति आरंग जिला रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

कलेक्टर, जिला रायपुर का ज्ञापन क्रमांक/647/स.वि.लि. 3/2020 दिनांक 20-10-2020 द्वारा श्री रामयश तिवारी, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि दिनांक 30-09-2020 से सेवानिवृत्त हो जाने से उनके स्थान पर श्री महेश दत्त ओझा, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर को कृषि उपज मंडी समिति आरंग जिला रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री रामयश तिवारी, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि के स्थान पर श्री महेश दत्त ओझा, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति आरंग जिला रायपुर (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2020

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2020-21/4515.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/4354-4355 रायपुर दिनांक 17-10-2019 द्वारा श्री अनिल कुमार शुक्ला, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड लोरमी को कृषि उपज मंडी समिति लोरमी, जिला मुंगेली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

कार्यालय कलेक्टर जिला मुंगेली छ.ग. का ज्ञापन क्रमांक/12795/व.लि./2020 मुंगेली दिनांक 18-11-2020 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति लोरमी, जिला मुंगेली में नियुक्त भारसाधक अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ला, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड लोरमी का पदोन्नति उपरांत अनुविभागीय अधिकारी, कृषि पामगढ़ जिला जांजगीर-चांपा होने का उल्लेख करते हुए अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लोरमी, जिला मुंगेली को कृषि उपज मंडी समिति लोरमी, जिला मुंगेली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव दिया गया है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री अनिल कुमार शुक्ला, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड लोरमी के स्थान पर श्री नवीन कुमार भगत, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लोरमी, जिला मुंगेली को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति लोरमी, जिला मुंगेली (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

हिम शिखर गुप्ता
प्रबंध संचालक.

कार्यालय कलेक्टर, जिला-महासमुंद (छ.ग.)

महासमुंद, दिनांक 29 दिसम्बर 2020

क्रमांक/163/क/वि-स्था/2020.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो, अनुक्रमांक-चार के नियम आठ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं कार्तिकेया गोयल, कलेक्टर, जिला महासमुंद कैलेण्डर वर्ष 2021 हेतु जिला महासमुंद के समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं के लिए निम्नांकित तिथियों में स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

क्रमांक (1)	स्थानीय अवकाश का नाम (2)	दिनांक (3)	दिन (4)	रिमार्क (5)
1.	गणेश चतुर्थी	10 सितंबर, 2021	शुक्रवार	सम्पूर्ण जिला महासमुन्द
2.	दशहरा (महानवमी)	14 अक्टूबर, 2021	गुरुवार	
3.	भाई दूज	06 नवंबर, 2021	शनिवार	

उपरोक्त स्थानीय अवकाश बैंक/कोषालय/उपकोषालय के लिए लागू नहीं होगा.

कार्तिकेया गोयल,
कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 जनवरी 2021

क्रमांक/1020/स्थापना/2020.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो, अनुक्रमांक-चार के नियम-आठ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं यशवंत कुमार, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा छ.ग. वर्ष 2021 के लिये जिला जांजगीर-चांपा, छ.ग. हेतु नीचे दर्शायी गई तारीखों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

क्र. (1)	अवकाश का नाम (2)	ग्रेगैरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख (3)	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत) (4)	सप्ताह के दिन (5)
1.	गणेश चतुर्थी	10 सितम्बर	भाद्रपद 19, 1943	शुक्रवार
2.	दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा)	05 नवम्बर	कार्तिक 14, 1943	शुक्रवार
3.	भाईदूज	06 नवम्बर	कार्तिक 15, 1943	शनिवार

यह अवकाश बैंकों एवं कोषालय/उप कोषालय के लिए लागू नहीं होगा.

यशवंत कुमार,
कलेक्टर.

राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़ बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 4 जनवरी 2021

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

क्रमांक/43/स्थापना/रा.मं./2020.—Certified that we have in the AN/FN of this day on 04-01-2021 respectively made over and received charge of the office of the Secretary, Board of Revenue Chhattisgarh, Bilaspur vide GAD's order No. E 1-02/2020/एक-2 Nava Raipur dated 30-12-2020 and that the officer receiving charge travelled during joining time on AM/PM (Mention dates).

हस्ता./-
अवर सचिव.

PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT

Raipur, the 11 November 2020

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

No. 81/SPL Sec/PHE.—Certified that I have in the forenoon of this day respectively made over and received charge of the office of Special Secretary, Public Health Engineering Department and Director, Water Life Mission in pursuance of Government of Chhattisgarh Department of GAD order No. ई 1-02/2020/एक-2 Nava Raipur, dated 31-10-2020 and that the receiving charge transferred during joining time on 11-11-2020 Forenoon.

S. PRAKASH,
Special Secretary.

कार्यालय, उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कोरबा (छ.ग.)

कोरबा, दिनांक 29 अगस्त 2020

क्रमांक 834/शोध/न.ग्रा.नि./2020.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है, कि पोड़ी-उपरोड़ा निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को छत्तीसगढ़, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं और उसकी एक प्रति कार्यालय जनपद पंचायत, पोड़ी-उपरोड़ा जिला-कोरबा (छ.ग.) एवं कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा (छ.ग.) में दिनांक 03-09-2020 से कार्यालय समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे. निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई हैं :—

अनुसूची

पोड़ी-उपरोड़ा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

- उत्तर में : ग्राम धौरामुड़ा, पोड़ी-उपरोड़ा एवं बांगो ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम बांगो, पोड़ी-उपरोड़ा, गाड़ाघाट, पाथा एवं कोड़ा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम कोड़ा, गुडरूमुड़ा एवं तानाखार ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम तानाखार, बरपाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा (छ.ग.) को सूचना छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है।

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, तो उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा (छ.ग.) द्वारा विचार किया जावेगा।

निरीक्षण स्थल—

1. कार्यालय जनपद पंचायत, पोड़ी-उपरोड़ा जिला-कोरबा (छ.ग.).
2. कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा (छ.ग.).

No. 834/T. & C.P./2020.—Notice is hereby given that the existing land use maps for the Pondi-Uparoda Planning Area has been prepared under sub section (1) of section 15 of the C.G. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection w.e.f. 03-09-2020 during office hour's of working day's in the Office of the Janpad Panchayat, Pondi-Uparoda and Office of the Deputy Director, Town And Country Planning, Korba (C.G.) during office hours of working days. The limits of Pondi-Uparoda Planning Area are detailed in schedule given Below :

SCHEDULE

Limits Of Pondi-Uparoda Planning Area

NORTH	:	Village Dhauramuda, Pondi-Uparoda and Bango upto the North limit.
EAST	:	Village Bango, Pondi-Uparoda, Gadaghat, Patha and Koda upto the East limit.
SOUTH	:	Village Koda, Gudarumuda and Tanakhar upto the South limit.
WEST	:	Village Tanakhar, Barapali and Pondi-Uparoda upto the West limit.

If there be any objection of suggestion with respect to the existing land use map, so prepared it should be sent in writing to the Deputy Director, Town And Country Planning, Korba (CG) within a period of thirty days from the date of publication of the notice in "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the expiry of the specified period above will be considered by the Deputy Director, Town And Country Planning, Korba (C.G.).

Inspection Site :—

1. Office of the Janpad Panchayat, Pondi-Uparoda, Distt.-Korba (C.G.)
2. Office of the Deputy Director, Town And Country Planning, Korba (C.G.)

के. एस. कंवर,
उप-संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 13th October 2020

No. 97/L.G./2020/II-3-39/2007.—Shri Gokaran Singh Kunjam, Judge, Family Court, Jashpur is hereby, granted earned leave for 01 day on 11-11-2020 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 08-11-2019 to till before the Court hours of 13-11-2019 and commuted leave for 09 days from 29-10-2019 to 06-11-2019 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave & commuted leave as the case may be, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kunjam, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave & 402 days of half-pay-leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 13th October 2020

No. 98/L.G./2020/II-3-46/2007.—Smt. Kiran Chaturvedi, Judge, Family Court, Janjgir-Champa is hereby, granted child care leave for 21 days from 22-02-2020 to 13-03-2020 along with permission to remain out of headquarters from 21-02-2020 to 15-03-2020.

During the period of child care leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Chaturvedi, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 647 days of child care leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 13th October 2020

No. 99/L.G./2020/II-3-10/2005.—Smt. Minakshi Gondale, Judge, Commercial Court (District Level), Raipur is hereby, granted earned leave for 03 days from 23-12-2019 to 25-12-2019 with winter vacation along with permission to remain out of headquarters from 21-12-2019 to 29-12-2019 and earned leave for 25 days from 17-08-2020 to 10-09-2020 along with permission to leave headquarters during the said period.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Gondale, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 220 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 13th October 2020

No. 100/L.G./2020/II-3-27/2014.—Shri Jitendra Kumar, Judge, Family Court, Uttar Bastar (Kanker) is hereby, granted earned leave for 04 days from 01-01-2020 to 04-01-2020 in continuation of winter vacation along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 24-12-2019 till 05-01-2020.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Jitendra Kumar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 13th October 2020

No. 101/L.G./2020/II-3-43/2007.—Shri Rajendra Pradhan, District & Sessions Judge, Dakshin Bastar (Dantewara) is hereby, granted earned leave for 03 days from 29-12-2019 to 31-12-2019 in continuation of winter vacation along with permission to remain out of headquarters from 26-12-2019 to 31-12-2019.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Pradhan, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 294 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 14th October 2020

No. 102/L.G./2020/II-3-7/2008.—Smt. Vinita Warner, Judge, Family Court, Manendragarh, District-Koriya (Baikunthpur) is hereby, granted earned leave for 06 days from 22-07-2019 to 27-07-2019 along with permission to leave headquarters from 22-07-2019 till before the office hours of 29-07-2019 and earned leave for 03 days from 23-12-2019 to 25-12-2019 with winter vacation along with permission to leave headquarters from 21-12-2019 till before working hours of 30-12-2019.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Warner, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 14th October 2020

No. 103/L.G./2020/II-3-27/2007.—Smt. Neeta Yadav, Special Judge, under SC & ST (P.A.) Act, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 05 days from 29-12-2019 to 02-01-2020 in continuation of winter vacation along with permission to remain out of headquarters from 25-12-2019 to 02-01-2020 and earned leave for 04 days from 04-08-2020 to 07-08-2020 along with permission to remain out of headquarters from 01-08-2020 to 09-08-2020.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Yadav, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 299 days earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 14th October 2020

No. 104/L.G./2020/II-3-40/2007.—Shri Arvind Kumar Verma, Registrar (Judicial), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 03 days from 08-07-2020 to 10-07-2020 along with permission to remain out of headquarters after the office hours of 07-07-2020 till the evening of 12-07-2020.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Verma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+12 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 14th October 2020

No. 105/L.G./2020/II-2-29/2016.—Shri Ajay Singh Rajput, Additional Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 09 days from 09-07-2020 to 17-07-2020

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Rajput, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 173 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 14th October 2020

No. 106/L.G./2020/II-2-24/2016.—Shri Alok Kumar, Special Judge (Atrocities), Surguja (Ambikapur) is hereby, granted earned leave for 06 days from 29-06-2020 to 04-07-2020 along with permission to remain out of headquarters from 28-06-2020 to 05-07-2020.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Alok Kumar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 198 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 14th October 2020

No. 107/L.G./2020/II-2-20/2007.—Smt. Kanta Martin, District & Sessions Judge, Mungeli is hereby, granted earned leave for 10 days from 24-12-2019 to 02-01-2020 along with permission to remain out of headquarters during the said period and earned leave for 11 days from 04-01-2020 to 14-01-2020 along with permission to remain out of headquarters during the said period.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Martin, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 285 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 14th October 2020

No. 108/L.G./2020/II-3-30/2007.—Shri Onkar Prasad Gupta, District & Sessions Judge, Koriya (Baikunthpur) is hereby, granted earned leave for 06 days from 23-12-2019 to 28-12-2019 with winter vacation along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 20-12-2019 till before the Court hours of 01-01-2020.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Gupta, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 267 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 14th October 2020

No. 109/L.G./2020/II-3-13/2008.—Shri Rajesh Kumar Shrivastava, District & Sessions Judge, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 03 days from 23-12-2019 to 25-12-2019 with winter vacation along with permission to leave headquarters from 21-12-2019 to 30-12-2019.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shrivastava, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 14th October 2020

No. 110/L.G./2020/II-2-5/2016.—Shri Hirendra Singh Tekam, Judge, Family Court, Baloda-Bazar is hereby, granted earned leave for 05 days from 08-07-2019 to 12-07-2019 along with permission to remain out of headquarters after the office hours of 06-07-2019 to till before the office hours of 13-07-2019.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tekam, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 288 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 14th October 2020

No. 111/L.G./2020/II-2-17/2019.—Smt. Saroj Nand Das, Judge, Family Court, Surajpur is hereby, granted earned leave for 13 days from 15-07-2019 to 27-07-2019 along with permission to remain out of headquarters from 14-07-2019 to 28-07-2019.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Das, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 14th October 2020

No. 112/L.G./2020/II-2-13/2017.—Shri Yogesh Pareek, Special Judge (Atrocities), Korba is hereby, granted earned leave for 07 days from 19-12-2019 to 25-12-2019 with winter vacation along with permission to remain out of headquarters after the office hours of 17-12-2019 till before the office hours of 01-01-2020.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Pareek, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 187 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 14th October 2020

No. 113/L.G./2020/II-2-4/2004.—Shri Vinay Kumar Kashyap, District & Sessions Judge, Rajnandgaon is hereby, granted commuted leave for 26 days from 05-11-2019 to 30-11-2019.

During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kashyap, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 244 days of half-pay-leave are remaining in his leave account.

Bilaspur, the 14th October 2020

No. 114/L.G./2020/II-2-4/2014.—Shri Sanjay Kumar Jaiswal, Registrar (I & E), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 08 days from 22-02-2020 to 29-02-2020 along with permission to leave headquarters from 21-02-2020 to 01-03-2020.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Jaiswal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 259 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 14th October 2020

No. 115/L.G./2020/II-2-14/2018.—Smt. Neeru Singh, II Additional Principal Judge, Family Court, Durg is hereby, granted earned leave for 06 days from 22-07-2019 to 27-07-2019 along with permission to remain out of headquarters from 20-07-2019 to 28-07-2019 and eanred leave for 03 days from 18-11-2019 to 20-11-2019 along with permission to leave headquarters from 16-11-2019 to 20-11-2019.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Singh, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 226 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
ATUL KUMAR SHRIVASTAVA, Additional Registrar (ADMN).
